G — स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं विधिक सहायता

आंगनवाड़ी केंद्र

यह संस्थान क्या है

AWC (आंगनवाड़ी केंद्र) ICDS (समेकित बाल विकास सेवाएँ) की ज़मीनी सेवा-वितरण इकाई है, जो अब सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत समाहित है। यह छह वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, तथा आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14–18 आयु की किशोरियों को पूरक पोषण, पूर्व-विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण (स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण में), स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ प्रदान करता है। प्रत्येक AWC ग्रामीण एवं शहरी दोनों परियोजनाओं में लगभग 400–800 जनसंख्या को कवर करता है, और दूरस्थ बस्तियों में छोटे मिनी-AWC होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 13.9 लाख AWC हैं। एक युवा व्यक्ति के लिए, आंगनवाड़ी आम तौर पर वह पहला सरकारी संस्थान है जिससे उसकी माँ का सामना हुआ था और जहाँ उसके छोटे भाई-बहन अब जाते हैं — यह कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक सार्वभौम संपर्क-बिंदु है।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आपका कोई छोटा भाई-बहन है, कोई गर्भवती भाभी या मित्र है, अथवा आपका स्वयं का बच्चा है, तो आंगनवाड़ी वही स्थान है जहाँ पूरक पोषण, नियमित टीकाकरण, वृद्धि-निगरानी, और प्रारंभिक बाल्यावस्था अधिगम होना चाहिए। आंगनवाड़ी क्रियाशील है या नहीं — इसी से तय होता है कि बच्चों की पूरी एक पीढ़ी कक्षा 1 में सीखने को तैयार होकर प्रवेश करती है या नहीं।

शासन

कानून / नीति	दायरा
ICDS योजना दिशा-निर्देश (2021 में सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 में विलय)	आंगनवाड़ियों के लिए मूल संचालन ढाँचा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013	पूरक पोषण, निःशुल्क भोजन, और मातृत्व लाभ की गारंटी देता है (एनएफएसए §4 और §5 के तहत)
पोषण अभियान (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nourishment)	जन आंदोलन और वृद्धि-निगरानी लक्ष्यों के साथ समन्वय मिशन
सक्षम आंगनवाड़ी मानक (2022)	डिजिटल पोषण ट्रैकर, पाइप जलापूर्ति, अलग शौचालय, LED प्रकाश के साथ उन्नत मॉडल

- **केंद्र:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) → मिशन शक्ति / पोषण 2.0
- **राज्य:** महिला एवं बाल विकास विभाग / ICDS निदेशालय
- **जिला:** जिला कार्यक्रम अधिकारी, ICDS (DPO)। जिला पोषण समिति (DNC) — जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी/कलेक्टर करते हैं, और जिसमें WCD, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संबद्ध विभागों के जिला अधिकारी शामिल होते हैं; जिले में पोषण/ICDS प्रशासन की देखरेख करती है तथा गाँव-स्तरीय पोषण पंचायतों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है।
- **परियोजना (ब्लॉक):** बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) — सामान्यतः 75–150 आंगनवाड़ियों का प्रबंधन करते हैं
- **पर्यवेक्षण:** पर्यवेक्षिका / मुख्य सेविका — 25–30 आंगनवाड़ियों का पर्यवेक्षण करती हैं
- **केंद्र:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) + आंगनवाड़ी सहायिका (AWH)
- **वित्तपोषण:** केंद्र-प्रायोजित — 60:40 केंद्र:राज्य (पूर्वोत्तर / हिमालयी राज्यों के लिए 90:10); प्रशासनिक लागतों के लिए 100% केंद्रीय

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)	केंद्र की प्रमुख; पूर्व-विद्यालय, पूरक पोषण, वृद्धि-निगरानी, पोषण ट्रैकर डेटा प्रविष्टि, घर-यात्राओं का संचालन करती हैं
आंगनवाड़ी सहायिका (AWH)	भोजन पकाती हैं, AWW की सहायता करती हैं, समुदाय से बच्चों को लाती हैं
पर्यवेक्षिका / मुख्य सेविका	25–30 AWC का पर्यवेक्षण करती हैं; मासिक समीक्षा एवं स्थल निरीक्षण
बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO)	ब्लॉक-स्तरीय प्रमुख; पोषण परिणाम, सामुदायिक संगठन
ASHA (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता)	टीकाकरण, प्रसवपूर्व रेफरल, और वृद्धि-निगरानी हेतु अभिसरण भागीदार

अनिवार्य सेवाएँ

- **पूरक पोषण (SNP):** गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, 6 माह–3 वर्ष के बच्चों, और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए घर-ले-जाने वाला राशन; 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पका भोजन
- **पूर्व-विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा** 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए, प्रतिदिन 3–4 घंटे, आधारभूत स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा (2022) का उपयोग करते हुए
- **वृद्धि-निगरानी** — मासिक वज़न और लंबाई मापन; पोषण ट्रैकर डिजिटल प्रविष्टि; SAM (गंभीर तीव्र कुपोषण) और MAM (मध्यम तीव्र कुपोषण) बच्चों की पहचान कर रेफरल
- **टीकाकरण सहायता** सहायक नर्स प्रसूति (ANM) और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) के साथ VHND (ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस) पर अभिसरण में
- **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (NHED)** माताओं के लिए सत्र
- **किशोरी योजना (SAG):** स्कूल से बाहर रह गई 14–18 आयु की लड़कियों के लिए SNP के अंतर्गत पूरक पोषण, आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र तक सीमित।
- **निश्चित मासिक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) दिवस:** मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की पोषण भी पढ़ाई भी (PBPB) पहल के अंतर्गत प्रत्येक AWC पर हर महीने अनिवार्य। कम-से-कम 2 घंटे के सत्रों में देखभाल करने वालों को विषय-आधारित, शैक्षणिक-कैलेंडर-संरेखित गतिविधियों के लिए AWC बुलाया जाता है — जिनमें अभिभावक–AWW बैठकें, भाषा एवं चालक-कौशल प्रतिभा शो, संख्या-ज्ञान एवं रचनात्मकता दिवस, स्वयं-निर्मित खिलौना कार्यशालाएँ, प्रारंभिक-बाल्यावस्था-विकास मील-पत्थर चर्चाएँ, AWC सुधार दिवस, और साल-अंत स्नातक/नामांकन अभियान शामिल हैं। रिपोर्टिंग पोषण ट्रैकर के सामुदायिक आधारित कार्यक्रम मॉड्यूल से होती है।
- **CMAM प्रोटोकॉल (तीव्र कुपोषण का सामुदायिक प्रबंधन)** — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के CMAM ढाँचे के अनुसार, आंगनवाड़ी केंद्र पर गंभीर अथवा मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान, रेफरल, और प्रबंधन।
- **0–3 आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक उद्दीपन (नवचेतना):** MWCD के प्रारंभिक बाल्यावस्था उद्दीपन के लिए राष्ट्रीय ढाँचे से गतिविधि-आधारित पाठ्यचर्या, घर-यात्राओं, मासिक बैठकों, और AWC संपर्क-बिंदुओं के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- **पोषण वाटिकाएँ (किचन गार्डन / पोषक-बगीचे):** आंगनवाड़ी केंद्रों पर अथवा निकट स्थापित सामुदायिक स्तर के बगीचे जो पूरक पोषण के लिए स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति करते हैं।
- **रेफरल सेवाएँ** — गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों, जोखिमपूर्ण गर्भधारण, और दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) रेफर किया जाता है
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** — पहले जीवित जन्म पर Rs 5,000 मातृत्व लाभ; दूसरी संतान के बालिका होने पर Rs 6,000; AWW अक्सर आवेदन में सहायता करती हैं

संबद्ध योजनाएँ

- **मिशन पोषण 2.0** — एकीकृत पोषण मिशन
- **पोषण अभियान** — जन आंदोलन, सामुदायिक अभिसरण, वृद्धि-निगरानी परिणाम
- **PMMVY** — गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)** — बालिका जागरूकता; आंगनवाड़ियाँ अग्रिम-पंक्ति अभिसरण इकाइयाँ हैं
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (आंगनवाड़ी भवन)** और AWC अवसंरचना के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) शौचालय अभिसरण
- **AWC–विद्यालय सह-अवस्थिति:** आंगनवाड़ी केंद्रों के विद्यालयों के साथ सह-अवस्थिति के लिए संयुक्त दिशा-निर्देश, MWCD तथा शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DSEL) द्वारा 3 सितंबर 2025 को जारी। दो मॉडल: (i) विद्यालय परिसर के भीतर भौतिक सह-अवस्थिति, अथवा (ii) प्रत्येक AWC को निकटतम प्राथमिक विद्यालय से मानचित्रित करना — शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के भीतर।
- **AWC भवन निर्माण (पोषण 2.0 + VB-G RAM G अभिसरण):** विकसित भारत- जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत — जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का स्थान लिया — पाँच वर्षों में 50,000 नए AWC भवन (प्रति वर्ष 10,000) बनाने का प्रावधान, जिसमें वित्तपोषण विभाजन प्रति AWC Rs 8 लाख VB-G RAM G के मजदूरी-रोजगार कार्यक्रम से, Rs 2 लाख 16वें वित्त आयोग अनुदान विंडो (2026-31) अथवा अन्य अनबंधित निधियों से, और Rs 2 लाख MWCD से होगा।

कैसे ढूँढें

पोर्टल: poshantracker.in (बैकएंड प्रतिबंधित है; कुछ राज्य WCD पोर्टलों पर सार्वजनिक डेटा)। जिला-स्तरीय सार्वजनिक स्नैपशॉट (राज्य, जिला, योजना, आयु-समूह कट) poshantracker.in/statistics पर हैं। साथ ही UP के लिए mahilakalyan.up.nic.in, MP के लिए mpwcdmis.gov.in

इसके अतिरिक्त: प्रत्येक गाँव / शहरी वार्ड में एक है; सरपंच / वार्ड सदस्य, स्थानीय ASHA, अथवा ब्लॉक मुख्यालय पर CDPO से पूछें।

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील आंगनवाड़ी में होना चाहिए: स्वयं का पक्का भवन (अथवा अनुपस्थिति में किराये का कमरा), कम-से-कम एक कक्षा-सह-गतिविधि स्थान जिसमें खेल और शिक्षण सामग्री हो, एक रसोई क्षेत्र, पेयजल, अलग शौचालय, राशन और बर्तनों के लिए भंडारण, एक वृद्धि चार्ट और तौल-यंत्र (शिशुओं के लिए साल्टर एवं वयस्कों के लिए), एक थर्मामीटर और प्राथमिक चिकित्सा किट, एक पोषण ट्रैकर-सक्षम स्मार्टफोन अथवा टैबलेट, और स्पष्ट दृश्य समय-सारिणी एवं मेन्यू चार्ट। सक्षम आंगनवाड़ी मानक अतिरिक्त रूप से पाइप जलापूर्ति, LED प्रकाश, और एक समर्पित प्ले एरिया अनिवार्य करते हैं।

एक क्रियाशील आंगनवाड़ी कैसी दिखती है

- आंगनवाड़ी अधिसूचित घंटों के दौरान खुली है; AWW उपस्थित हैं; बच्चे शारीरिक रूप से मौजूद हैं
- पूरक पोषण आज परोसा जा रहा है, जो दीवार पर लगे साप्ताहिक मेन्यू से मेल खाता है
- नामांकित बच्चों का वृद्धि चार्ट चालू महीने के लिए अद्यतन है
- चालू सप्ताह की पोषण ट्रैकर प्रविष्टियाँ की गई हैं (AWW के फ़ोन पर सत्यापन योग्य)
- घर-ले-जाने वाले राशन का वितरण दर्ज और हस्ताक्षरित है
- गर्भावस्था पंजी और टीकाकरण पंजी अद्यतन हैं
- पिछले तिमाही में ANM / ASHA अभिसरण के साथ एक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHND) आयोजित किया गया है
- SAG के अंतर्गत जिन किशोरियों का नामांकन होना चाहिए, वे वास्तव में आ रही हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहला संपर्क बिंदु हैं। भोजन की गुणवत्ता, अनुपस्थिति, राशन की कम-आपूर्ति, अथवा ICDS सेवा से इनकार के मुद्दे पहले AWW को और फिर स्थानीय पर्यवेक्षिका / मुख्य सेविका के पास उठाए जाते हैं। **सामुदायिक-स्तरीय मंच।**

पोषण पंचायतें (गाँव-स्तरीय पोषण समितियाँ), माताओं के समूह, और VHSNC (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति) स्थानीय शिकायत निवारण प्रदान करती हैं और सामाजिक लेखा-परीक्षा में भाग लेती हैं; उनकी रिपोर्टें जिला पोषण समिति को जाती हैं।

सेवा के बाद। आगे बढ़ाने की कार्रवाई ब्लॉक पर बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO), ICDS तक होती है। कई राज्यों में आंगनवाड़ी सहयोगिनी समितियाँ (स्थानीय निगरानी समितियाँ) एक मध्यवर्ती सामुदायिक-स्तरीय मंच के रूप में मौजूद हैं।

बाह्य। MWCD CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली) pgportal.gov.in पर तथा राज्य-विशेष हेल्पलाइनों (जैसे अधिकांश राज्यों में ICDS टोल-फ्री नंबर) के माध्यम से पोषण शिकायत कार्य चलाता है। पोषण हेल्पलाइन (पोषण ट्रैकर एवं PMMVY) **1515** है — पोषण ट्रैकर प्रविष्टियों और PMMVY आवेदनों/भुगतान संबंधी प्रश्नों के लिए; 1 नवंबर 2025 से लाइव; पूर्व 14408 का स्थान लेती है। PMMVY शिकायतों के लिए, पोर्टल pmmvy.wcd.gov.in में एक समर्पित शिकायत-ट्रैकिंग कार्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत पूरक पोषण से इनकार को एनएफएसए की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है।